

79



**न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक

/2016 जिला-ग्वालियर

निं. नो 24-PBR-16

नवीन शिवहरे पुत्र श्री चिरोंजीलाल शिवहरे निवासी - एम-40 गांधी नगर ग्वालियर (म.प्र.)

..... आवेदक

बनाम

- (1) कलेक्टर ऑफ स्टाम्प जिला ग्वालियर (म.प्र.)
- (2) श्रीमती बेटी बाई पत्नी स्व. लाखाराम निवासी-केदारपुर परगना व जिला ग्वालियर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर ऑफ स्टाम्पस जिला ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5/बी-103/2012-13/33 में पारित आदेश दिनांक 14.03.2014 के विरुद्ध मध्यप्रदेश स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 56 के अधीन पुनरीक्षण।

*B. 24.2.16 को रीजेक्ट किया  
क्र. 24/15/8  
94.2.16*

*Dehbandi*

*rh*

2

R-7024-PBR/16 (उत्तरीय)

13/8/18

आवेदक द्वारा श्री डी. के. शिवदी एवं  
आवेदक द्वारा श्री अजय चतुर्वेदी का सक्रीय  
अभिमानपत्र उपस्थित। आवेदक अभिमानपत्र  
द्वारा निवेदन किया कि प्रकान नहीं चलाना  
चाहते हैं। आवेदक अभिमानपत्र के विवरण  
पर नहीं चलाने के कारण प्रकान समाप्त  
किया जाता है।

स  
स

कादशा

Handwritten signature and scribble on the right margin.